प्रेषक, संख्या-265/2021/265 /बावन-2-2021-2(1)बजट/20

अनिल कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में 03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 06 माह की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-50/2020/542/बावन-1-2020-2(1)बजट/20 दिनांक 15.04.2020 एवं अपने पत्र संख्या-3299/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-आव0/2020-21 दिनांक 13-01-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ के संचालन हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के मानक मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत प्राविधानित कुल धनराशि रू0-26256000.00 (दो करोड बासठ लाख छप्पन हजार रूपये मात्र) के सापेक्ष 06 माह हेतु प्रथत किश्त के रूप में रू0-13128000.00 (एक करोड इक्कतीस लाख अटठाइस हजार रूपये मात्र) निर्गत की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ के संचालन हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-800-03 के मानक मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत प्राविधानित कुल धनराशि रू0-26256000.00(दो करोड बासठ लाख छप्पन हजार रूपये मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से अन्तिम 06 माह हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0-1942577.00(उन्नीस लाख बयालिस हजार पांच सौ सतहत्तर रूपये मात्र) अवमुक्त कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
800-अन्य व्यय-
03- उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण

क्रम सं0	मद संख्या	वर्ष 2020-21 में आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	आवश्यकता के अनुरूप मांग हेतु अनुमानित धनराशि
1	2	3	4	5	6
01	03-मंहगाई भत्ता	1235500	1228237	7263	400000
02	55-मकान किराया भत्ता	250000	181830	68170	100000
03	07-मानदेय	500000	480000	20000	150000
04	49- चिकित्सा पर व्यय	300000	151837	148163	100000
05	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु	1250000	1193480	56520	1192577
	कुल योग	3535500	3235384	300116	1942577

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हेण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाय कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/2 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्कतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो समान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मेनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

5- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्य-48 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहा है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-265(1)/2021/265 /बावन-2-2021-2(1)बजट/20, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वसीका अधिकारी, वसीका कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11

8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1,3,4

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in